

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

श्री प्रभातेश्वर सैनी, व्याख्याता का प्रधानाध्यापक में चयन होने के उपरान्त कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक: 16.10.2019 द्वारा इनका पदस्थापन रामावि 8 आजेएम, घड़साना, अनूपगढ़, श्री गंगानगर में किया गया, जिसकी अनुपालना में श्री प्रभातेश्वर सैनी द्वारा नव पदस्थापित विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर दिनांक 18.10.2019 कार्यग्रहण कर लिया गया। श्री सैनी द्वारा दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति काउंसिलिंग में जांच लंबित होने की जानकारी छुपाने तथा विभागीय अनापत्ति प्रस्तुत न करने के कारण आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/आरपीएससी-18 /पदस्थापन/2019/466 दिनांक 04.03.2020 द्वारा श्री प्रभातेश्वर सैनी के संबंध में प्रधानाध्यापक मावि हेतु जारी पदस्थापन आदेश श्री सैनी की हद तक प्रत्याहारित किया गया है। श्री सैनी का व्याख्याता रसायन विज्ञान के पद पर दिनांक 21.07.2017 से स्थायीकरण कर दिया है एवं इनका व्याख्याता रसायन विज्ञान के पद पर नियमानुसार लियन(पदाधिकार) है। अतः श्री प्रभातेश्वर सैनी का पदस्थापन रा0उ0मा0वि0 बिरमाना, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में व्याख्याता रसायन विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाता है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

दिनांक:- 19/03/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-1/रजीगृ/प्रभातेश्वर सैनी/19-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/ जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी।
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी/एबी प्रभाग कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर